

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/ प्रावै. सहायक/पत्रा. /प्रे. जयपुर 43| दिनांक 25.12.2021

आदेश

कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि नियमित एवं कटे हुए कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता 30.11.2021 तक की बकाया राशि बिना ब्याज/पैनल्टी के 6 द्विमासिक किरतों में जमा करवा सकेंगे। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य श्रेणी-ग्रामीण कृषि उपभोक्ता जिन्होंने उक्त योजना का लाभ लिया है एवं किरतों का भुगतान समय पर कर रहे हैं ऐसे उपभोक्ताओं को "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" में देय अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1000 रुपये तक (अधिकतम 12000 प्रतिवर्ष) का लाभ देय होगा।

अतः उपरोक्तानुसार तीनों वितरण निगम "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" की क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

  
(भास्कर ए. सावंत)  
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

  
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स